



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में आबकारी अधिनियम के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-860/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त भानू यादव पुत्र राम नरेश यादव निवासी परसुपुर टडिया थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-30.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त भानू यादव उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।